



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0755) 2551650, फैक्स - (0755) 2352061

पत्र क्रमांक / 944 / परीक्षा समन्वय / 2018

दिनांक - 27/10/2018

प्रति,


समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों के चयन विषयक।

संदर्भ:- मान. उच्च न्यायालय, ग्वालियर याचिका क्रमांक 2887/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2018
— / / —

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का चयन हेतु म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 1066/1159/2015/20-3 दिनांक 18.07.2018 का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की गई है। चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार परीक्षा केन्द्रों का चयन कर मण्डल को प्रेषित की जाती है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार परीक्षा केन्द्र से संस्था की दूरी शहर से 5 कि.मी. एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 कि.मी. निर्धारित की गई है, किन्तु मापदण्ड के अनुसार परीक्षा केन्द्र का चयन न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर का याचिका क्रमांक 2887/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2018 अनुरूप पुनः निर्देशित किया है, कि छात्राओं का परीक्षा केन्द्र दूर-दूर न बनाया जाए, साथ ही अनुचित साधनों/नकलों आदि का प्रयोग संभव न हो, ताकि छात्राओं की शिक्षा प्रभावित न हो।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि परीक्षा केन्द्रों में चयन में ऐसी त्रुटियों की पुनः पुनरावृत्ति न हो।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल

भोपाल, दिनांक: 27/10/2018

पृष्ठांकन क्रमांक / 945 / परीक्षा समन्वय / 2018
प्रतिलिपि :-

- 1 सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
- 2 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल।
- 3 आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल।
- 4 समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.।
- 5 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6 समस्त जिला परियोजना समन्वयक, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7 समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल